


लाराचन्द

बनाम भारत सद्य कौर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली-बहरोड

केस संख्या 59/2023 प्रत्यक्ष अन्तर्गत धारा 34

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/9/23	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली - बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर <u>जयपुर</u> .....से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/12/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	<p>661-62 14/11/23</p>
13/12/23	<p>पत्रावली आज पेश हुई। छात्री लाराचन्द विद्वान उपाधित भाई लाराचन्द की तलबी देते हैं। कबला पास। भीमान 10 लाख कर्म पार्थ में चाहते हैं। पत्रावली वाले तलबी लाराचन्द की देते हैं। मासिक 10000 के पेश हो।</p>	<p>लाराचन्द विद्वान</p>
14/12/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। छात्री पूर्व में उपाधित होया तलबी देते कबला पास था लेकिन आज उपाधित नहीं है। कर्म उपाधित के छात्री को अपना पत्र रखते। पेशी का हक मामलत के कबला दिया जाय। पत्रावली दिनांक 14/12/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                     जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	
14/12/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। उकरण में कबला पास जाय। छात्री विद्वान व उनके सचिवपता देते उपाधित नहीं है। उपाधित के छात्री पूर्व में उपाधित हो चुका है लेकिन लाराचन्द कबला पास करने से उपाधित है। छात्री उपाधित के छात्री पेशी वाले देते कबला पास लेते हैं। कर्म उपाधित कबला पास पेशी के सचिव विद्वान पास है। पत्रावली के कबला पास देते सचिव कबला पास तथा नबला पास से पत्र हो।</p> <p style="text-align: center;">                     जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	